

दिल्ली विकास प्राधिकरण

कार्मिक शाखा

(भविष्य निधि से अग्रिम धन प्राप्त करने का आवेदन पत्र)
(प्रार्थी द्वारा भरा जाना है)

1. प्रार्थी का नाम.....
2. लेखा संख्या.....
3. अनुभाग.....
3. पद.....
4. वर्तमान वेतन.....
6. अग्रिम धन प्राप्त करने का कारण.....
7. यदि चिकित्सा के आधार पर प्राप्त करना हो तो चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि भविष्य निधि विनियम के अन्तर्गत जिसके लिए अग्रिम धन प्राप्त करना है वह परिवार का सदस्य है तथापि प्रार्थी पर निर्भर है ।
8. यदि पहले अग्रिम धन प्राप्त किया है तो वह किस उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया था ।
9. अग्रिम धन की राशि.....
10. कब अग्रिम धन राशि (का.सं. 8 व 9) तथा प्रस्तावित कुल अग्रिम धनराशि के भुगतान की मासिक किस्तों की संख्या.....

प्रार्थी.....

हस्ताक्षर.....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थी के आर्थिक कारणों के संबंध में न्यायोचित है तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र अथवा उत्सव के आयोजन करने के लिए देय अग्रिम धन की स्वीकृति दी जाये ।

अधिकारी के हस्ताक्षर.....

एभापी अधिकारी.....